



(1)



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केंप उज्जैन

प्रकरण क्र०

गफुर पिता नूर मोहम्मदजी कबाडी जाति
मुस्लिम उम्र 75 वर्ष निवासी -- जुनासाथ
मोहल्ला, मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

- (1) इलियास पिता चांद मोहम्मद निवासी
कटावघाट, झोपड पट्टी इंदौर (म.प्र.)
- (2) सरदार खां पिता चांद मोहम्मदी निवासी
गाडीखाना, जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)
- (3) शमिम बी पुत्री चांद मोहम्मद पति
इमदादखांती निवासी तिलकपथ, महिदपुर
जि. उज्जैन (म.प्र.)
- (4) नसीम बी पुत्री चांद मोहम्मद पति अब्दुल
रसीद जी निवासी नजर बाग जावरा
जि. रतलाम (म.प्र.)
- (5) सायरा बानो विधवा इशाक मोहम्मदजी
निवासी नजर बाग जावरा जि. रतलाम
- (6) यास्मीन बी पुत्री इशाक मोहम्मद
निवासी नजर बाग जावरा जि. रतलाम
- (7) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर नीमच
..... अनावेदकगण

12/6/13

12/6/13
जुनासाथ

16-7-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

84

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 2631-5/13... जिला... बीमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-14 उज्जैन जंम	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। उनके द्वारा उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित प्रकरण में निर्णय दिनांक 22-10-13 को जति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अब प्रकरण चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-10-13 को जति का अवलोकन किया गया। जिसके प्रकाश में प्रकरण चलाने जाने का कोई जटी होने से यह प्रकरण अभी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] प्रशासक सहायक</p>	<p>[Signature] [Signature]</p>

[कृ. प. उ.]